

भारत का सर्वोच्च न्यायालय
दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील संख्या: _____ / 2025

[@ विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 22265-22266/2018]

दीप शिखा एवं अन्यअपीलकर्ता (गण)

बनाम

नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्यप्रतिवादी (गण)

[सुधांशु धुलिया एवं के. विनोद चंद्रन, J.J.]

हेडनोट्स

मृतका की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई। ट्रिब्यूनल ने दोनों अपीलकर्ताओं को ₹15.97 लाख मुआवजा दिया। हाई कोर्ट ने विवाहित बेटी का मुआवजा घटाकर ₹50,000 किया और मां का दावा खारिज किया। अदालत ने *नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (2017) 16 SCC 680* तथा *सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य, (2009) 6 SCC 121* मामलों के अनुसार मुआवजे की पुनः गणना कर ₹19,22,356/- की राशि मृतका की मां के पक्ष में तय की। सुप्रीम कोर्ट ने मां को आश्रित मानते हुए ₹19,22,356/- मुआवजा देने का आदेश दिया। विवाहित बेटी को केवल धारा 140 के तहत मुआवजा योग्य माना गया।

निर्णय

सुधांशु धुलिया, जे.

1. विशेष अनुमति प्रदान की जाती है।
2. इन अपीलों के माध्यम से अपीलकर्ता राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनांक 14.05.2018 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दे रहे हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता संख्या 1 को देय मुआवजा घटा दिया और अपीलकर्ता संख्या 2 के संबंध में दावा खारिज कर दिया। यह मामला मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दायर दावा याचिका से संबंधित है।
3. संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 26.01.2008 को लगभग दोपहर 1:15 बजे, मृतका श्रीमती पारस शर्मा अपने दोपहिया वाहन पर थीं। एक चौराहे पर एक रोडवेज बस (उल्लंघनकर्ता वाहन) उनके बाएं रुकी और फिर लापरवाही से अचानक दाहिने मुड़ गई, जिससे मृतका बस के पिछले दाहिने पहिए के नीचे आ गई और चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
4. अपीलकर्ताओं (मृतका की विवाहित पुत्री — अपीलकर्ता संख्या 1, तथा मृतका की माता — अपीलकर्ता संख्या 2) ने ₹54,30,740/- की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए दावा याचिका दायर की।

5. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने दिनांक 11.05.2011 को दिए गए आदेश द्वारा ₹15,97,000/- का मुआवजा 6% वार्षिक ब्याज दर पर मंजूर किया, जिसमें भुगतान 30 दिनों के भीतर नहीं होने पर 9% ब्याज देय होगा। न्यायालय ने अपराधी वाहन के चालक ("प्रत्यर्थी संख्या 2"), अपराधी वाहन के स्वामी ("प्रत्यर्थी संख्या 3") और अपराधी वाहन के बीमाकर्ता ("प्रत्यर्थी संख्या 1") को संयुक्त और पृथक् रूप से उत्तरदायी ठहराया। ट्रिब्यूनल ने मृतका की उम्र 50-55 वर्ष और मासिक आय ₹24,406/- मानते हुए 50% आश्रितता अनुमानित की और 11 का गुणक लगाकर ₹15,84,000/- की आय हानि तय की। साथ ही अपीलकर्ता संख्या 1 को प्रेम और स्नेह हेतु ₹5,000/- तथा अपीलकर्ता संख्या 2 को देखभाल और सेवा हानि हेतु ₹5,000/-, और अंतिम संस्कार खर्च हेतु ₹3,000/- भी प्रदान किए।
6. अपीलकर्ताओं और बीमा कंपनी (प्रतिवादी संख्या 1) दोनों ने उच्च न्यायालय में अलग-अलग अपीलें दायर कीं। दावेदार-अपीलार्थी, आवंटित मुआवजे की राशि से व्यथित थे और उसमें वृद्धि की मांग कर रहे थे। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 1, अपीलार्थी संख्या 1 (अर्थात् मृतक की पुत्री) को दिए गए अवार्ड से इस आधार पर व्यथित था कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 140 के आलोक में वह कम मुआवजे की हकदार थी। जहाँ तक अपीलार्थी संख्या 2 (अर्थात् मृतक की माता) का संबंध है, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने यह

तर्क दिया कि वह किसी भी मुआवजे की हकदार नहीं है क्योंकि उसे मृतक का विधिक वारिस नहीं माना जा सकता।

7. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की अपील खारिज कर दी और बीमा कंपनी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता संख्या 1 को दिया गया मुआवजा घटाकर ₹50,000/- कर दिया और अपीलकर्ता संख्या 2 को दिया गया मुआवजा रद्द कर दिया।
चूंकि उन्हें मुआवजा की गणना के उद्देश्य से मृतक का आश्रित नहीं माना जा सकता था और इस माननीय न्यायालय के मंजूरी बेरा और अन्य बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य, (2007) 10 SCC 634 के निर्णय के आलोक में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि केवल अपीलार्थी संख्या 1 ही मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 140 के तहत अनुज्ञेय मुआवजा प्राप्त करने की हकदार थी।
8. अब अपीलकर्ता इस निर्णय को इस आधार पर चुनौती दे रहे हैं कि उच्च न्यायालय ने *मंजूरी बेरा(पूर्वोक्त)* के निर्णय की गलत व्याख्या की है।
9. हमने सभी पक्षों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

10. यह विवादित नहीं है कि मृतका की मृत्यु प्रतिवादी संख्या 2 की लापरवाही और तेज ड्राइविंग के कारण हुई, जो प्रतिवादी संख्या 3 के स्वामित्व वाले वाहन को चला रहे थे, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बीमित था।
11. एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता मृतका पर आश्रित होने के कारण ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे के पात्र हैं?
12. अपीलकर्ताओं का कहना है कि वे पूरी तरह मृतका पर निर्भर थीं। मृतका विवाहित थीं, लेकिन उनके पति उन्हें अपीलकर्ता संख्या 1(उसकी पुत्री) के जन्म के तुरंत बाद छोड़ चुके थे। तब से अपीलकर्ता संख्या 2(उसकी माता), मृतका के साथ रह रही थीं।
13. एक बार बेटी की शादी हो जाने पर, तार्किक अनुमान यह है कि अब उसके पास अपने वैवाहिक घर पर अधिकार हैं और उसे उसके पति या उसके परिवार द्वारा वित्तीय सहायता भी प्राप्त होती है, जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाए। यह अत्यधिक संभावना है कि उसकी अपने मायके, जिसमें उसकी माँ भी शामिल है, पर निर्भरता अब समाप्त हो गई है। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166 और 168 मृतक और दावेदार के बीच वित्तीय संबंध पर केंद्रित हैं। मंजूरी बेरा मामले के अनुसार, एक विवाहित बेटी को विधिक प्रतिनिधि माना जा सकता है, लेकिन वह निर्भरता की हानि के मुआवजे के लिए पात्र नहीं

होगी, जब तक कि बेटी यह सिद्ध न कर दे कि वह मृतक पर आर्थिक रूप से निर्भर थी। इस प्रकार, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी संख्या 1 यह सिद्ध करने में विफल रही है कि विवाह के बाद उसे अपनी माँ द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही थी और इसलिए उसे अपनी माँ, जो कि मृतक है, की आश्रित नहीं कहा जा सकता।

14. इसलिए, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने *मंजुरी बेरा(पूर्वोक्त)* निर्णय का सही उपयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता संख्या 1, एक वैधानिक प्रतिनिधि के रूप में, केवल धारा 140 के अंतर्गत मुआवजे की हकदार हैं, न कि आश्रित के रूप में।
15. हालांकि, अपीलकर्ता संख्या 2 (मृतका की माता) के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण था। वे दुर्घटना के समय लगभग 70 वर्ष की थीं, मृतका के साथ रहती थीं और और पूरी तरह से मृतक पर आश्रित थीं। उनकी कोई स्वतंत्र आय नहीं थी। इन तथ्यों का कोई खंडन रिकॉर्ड पर नहीं है।
16. जैसा कि बच्चे अपने माता-पिता का लालन-पालन बचपन में करते हैं, वैसे ही यह कर्तव्य वृद्धावस्था में माता-पिता के प्रति भी होता है। मृतका ही उनकी एकमात्र सहारा थीं, जिससे यह माना जा सकता है कि अपीलकर्ता संख्या 2 वास्तव में उन पर आश्रित थीं। इसलिए, मृतक की असामयिक मृत्यु से अपीलार्थी संख्या 2 को आगे चलकर कठिनाइयाँ

हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसे परेशानी होगी। यहां तक कि यदि तत्कालीन निर्भरता न भी मानी जाए, तो भी भविष्य की निर्भरता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

17. इसलिए, अपीलकर्ता संख्या 2 का मामला अपीलकर्ता संख्या 1 जो मृतक की विवाहित पुत्री है, से भिन्न है। *मंजुरी बेरा(पूर्वोक्त)* का निर्णय केवल उन मामलों में लागू होता है जहाँ वैधानिक प्रतिनिधि आश्रित नहीं होता — जो कि इस मामले में अपीलकर्ता संख्या 2 के संदर्भ में उपर्युक्त कारणों से लागू नहीं होता।
18. ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश से ₹15,97,000/- का मुआवजा अपीलार्थियों को प्रदान किया था, लेकिन उसने इस न्यायालय द्वारा *नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी(2017) 16 एस सी सी 680* तथा *सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य, (2009) 6 एस सी सी 121* में तय मानकों का पूरा पालन नहीं किया, जैसे कि भविष्य की आय हानि, संपत्ति की क्षति, अंतिम संस्कार व्यय, और पारिवारिक स्नेह की क्षति। हमने अपीलकर्ता संख्या 2 के लिए मुआवजा इस प्रकार पुनर्गणना किया:

मुआवजे की गणना	
मृतक की आय [मासिक]	₹24,406
भविष्य की संभावना	15 %

व्यक्तिगत और जीवन-यापन व्यय में कटौती	50%
कुल मासिक आय	$24,406 + 3660 - 50\% =$ ₹14,033
गुणक [आयु 51-55]	11
भविष्य की आय का नुकसान	$14,033 \times 11 \times 12 =$ ₹18,52,356
अंतिम संस्कार व्यय	₹15,000
संपत्ति का नुकसान	₹15,000
सांत्वना की हानि [संतति संबंधी सांत्वना]	₹40,000
कुल मुआवजा	$18,52,356 + 15,000 +$ $15,000 + 40,000 =$ ₹19,22,356

19. इसलिए, मृतक की कुल आय, संपदा की हानि, संतति संबंधी सांत्वना की हानि

आदि जैसे सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता संख्या 2,

₹19,22,356/- की मुआवजा राशि की पात्र हैं।

20. हम, इसलिए, आक्षेपित आदेश को इस हद तक बरकरार रखते हैं जहाँ तक यह

अपीलार्थी संख्या 1 को दिए गए मुआवजे से संबंधित है, उसके पक्ष में दी गई राहत में

हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। हालाँकि, हम अपीलार्थी संख्या 2 के दावे की

अस्वीकृति के संबंध में आक्षेपित आदेश को रद्द करते हैं, जो हमारे सुविचारित मत में

हस्तक्षेप का औचित्य सिद्ध करता है। हमने ₹19,22,356/- तक मुआवजे को बढ़ाने के

कारण बताए हैं। तदनुसार, हम यह निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी संख्या 2 को मुआवजे के

रूप में ₹19,22,356/- की राशि प्रदान की जाए।

21. उक्त शर्तों के आधार पर अपीलें निस्तारित की जाती हैं।
22. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा किया जाता है।
23. अंतरिम आदेश, यदि कोई हों, तो उन्हें समाप्त किया जाता है।

(सुधांशु धुनिया, जे)
(के. विनोद चंद्रन, जे)

नई दिल्ली,
13 मई 2025